सं0– 460 /उन्तीस(2)/10–2(05पे0)/2010

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग– 2

देहरादूनः दिनांकः 30 अप्रैल 2010

विषयः जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्रांक 800/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/39 दिनांक 09.04.10 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला योजनान्तर्गत जनपद देहरादून एंव हरिद्वार में निम्न विवरणानुसार नगरीय क्षेत्रों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु रू0 124.40 लाख (रू0 एक करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रू0 293.60 लाख (रू0 दो करोड़ तिरानबे लाख साठ हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 418.00 लाख (रू0 चार करोड अटठारह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

कमांक	जनपद	स्वीकृत धनराशि		
		नगरीय क्षेत्र हेतु	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	योग
1	देहरादून	30.00	70.00	100.00
2	हरिद्वार	94.40	223.60	318.00
	योग	124.40	293.60	418.00

(1)– उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जनपदों में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जिलों के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बंधित वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थाग्री आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय

कमश..2

स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बंध में शासनादेश संख्या 3093/उन्तीस/05–2(50पे0)/2004, दिनांक 03 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या 2347/उन्तीस/05–2(50पे0)/2004, दिनांक 04.06.2005 तथा 838/ 'उन्तीस (2)/05–2(139पे0)/06 दिनांक 18.06.07 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 30.06.2010 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन जिले में भयकर सूखे को दृष्टिगत् रखते हुए गम्भीर पेयजल संकट के कारण क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SWAP) से आच्छदित नहीं होगा।

(9)– उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से रू0 124.40 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– आयोजनागत–101–शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल –91– हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान / राजसहायता तथा रू0 293.60 लाख का व्यय लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति– आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम –91–जिला योजना– 03–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)(2215–01–101–0591 से स्थानान्तरित)– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

(10)– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/ रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.08 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/ग्टप्प्(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

क्रमश..3.

संख्या–460(i)/ उन्नीस(2) / 10–2(05पे0) / 2010,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार
3–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
4–सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / नोडल अधिकारी पेयजल निगम सम्बन्धित जनपद।
5–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–मण्डलायुक्त गढ़वाल।
7–मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल।
8–वित्त अनुभाग–2 / वित्त,बजट सेल / नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
9–निजी सचिव– मा0 पेयजल मंत्री, मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
10–स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव